तत्काल/ IMMEDIATE

भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/ Allotment Section)

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूसरा तल, उत्तर स्कंध,/ 2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन,/ Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर,/ Anushaktinagar,
मुंबई 400 094 / Mumbai - 400 094.

सं.: निसेसंप्रनि/1/19/ आबंटन /2025-26/ 566 March 12, 2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: आबंटन वर्ष 2025-2026 के लिए सरकारी आवास (मुंबई) के आबंटन के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करने के संबंध में |

Subject: Preparation of Priority List for Allotment of Government Residences (Mumbai) for the Allotment Year 2025-2026 – reg.

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/1(5)/2012-एसयूएस/11822 दिनांक 22.11.2012, के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटन वर्ष 2025-2026, दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक क्रियाशील रहेगा। प.ऊ.वि. सचिवालय और इसकी संघटक इकाइयों अर्थात पऊशिसं, पऊविबो, भापअकें, विआप्रौबोर्ड, पऊवि, निसेसंप्रनि, क्रभनि, भापाबो, होभारासं, एनपीसीआईएल, एनआरबी, यूजीसी-डीएई-सीएसआर और यूएम-डीएई-सीईबीएस के मुंबई और नवी मुंबई कार्यालयों में स्थित तैनात सभी कर्मचारी डी.ए.ई. निवास के माध्यम से विभिन्न स्थलों में विभागीय आवास का विकल्प चुन सकते हैं ।

Allotment Year for 2025-2026 will be functional between 01st April 2025 to 31st March 2026 based on the guidelines issued by the Department vide OM no. 5/1(5)/2012-SUS/11822 dated 22.11.2012. Employees posted in Mumbai and Navi Mumbai offices of DAE Secretariat and its constituent units i.e. AEES, AERB, BARC, BRIT, DAE, DCSEM, DPS, HWB, HBNI, NPCIL, NRB, UGC-DAE-CSR and UM-DAE-CEBS can opt for departmental accommodation at various localities through DAE Niwas.

2. आबंटन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक कदम बढाते हुए, आबंटन अनुभाग, निसेसंप्रनि ने डीएई निवास डेवलपर्स के साथ समन्वय में, आबंटन वर्ष 2025-2026 से आबंटन के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की छूट देने की योजना बनाई है। प्राथमिकता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सभी कर्मचारियों का विवरण उनके संबंधित संस्थापनों / प्रशासन से प्राप्त किया गया है और डीएई निवास में शामिल किया गया है।

In a step towards digitizing the allotment process, Allotment Section, DCSEM in co-ordination with DAE Niwas Developers, has planned to dispense with submission of hard copies of application for allotment w.e.f. Allotment Year 2025-2026. For simplifying the process of priority list preparation, details of all employees have been imported from their respective establishment / administration and incorporated in DAE Niwas.

3. आबंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए **13/03/2025 (0000 बजे) से 19/03/2025 (2359 बजे)** की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी। अनुरोध है कि आबंटन के लिए

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, निम्नलिखित डेटा बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच और सत्यापन करें, जिससे फ्लैट के आबंटन के लिए कर्मचारी की प्राथमिकता निर्धारित होगी:

The facility of submission of online application for allotment will be available for all employees during the period from **13/03/2025 (0000 Hrs)** to **19/03/2025 (2359 Hrs).** It is requested to meticulously check and verify following data fields, which will determine the priority of an employee for allotment of flat:

(I) जन्म तिथि / Date of Birth;

(II) प्रशिक्षण स्कूल/स्कीम में सम्मिलित होने की तिथि / Date of joining training school/scheme; *

(III) विभाग में सेवाभार ग्रहण करने की तिथि / Date of joining the Department; *

(IV) पिछली सेवा का विवरण, यदि कोई हो / Past service details, if any;

(V) वर्तमान वेतन स्तर / Current Pay Level; #

(VI) वेतन स्तर में वेतन / Pay in the Pay Level; #

(VII) वेतन स्तर 9 और उससे ऊपर स्तर पार करने की तिथि का विवरण / Particulars of Date of Crossing Pay in Level 9 and above;

(VIII) जाति विवरण, यदि लागू हो / Caste details, if applicable;

(IX) स्थान / समान श्रेणी में परिवर्तन / Location/ change in same category.

* परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षण अवधि को आबंटन प्रयोजन के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि निकालते समय गिना जाएगा।

Training period in respect of the training courses conducted by DAE will be counted while deriving employee's initial date of appointment for allotment purpose.

आबंटन के उद्देश्य हेतु केवल 01.04.2025 को प्राप्त वेतन स्तर पर ही विचार किया जाएगा। विभागीय आवास के प्रयोजन के लिए अनंतिम वेतन की गणना नहीं की जाती है।

Pay in the current pay level to be drawn as on 01.04.2025 will only be considered for allotment purpose. Provisional pay is not counted for the purpose of departmental accommodation.

(i) वेतन श्रेणी में अनंतिम वेतन की गणना विभागीय आवास के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी और इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेतन निर्धारण आदेश जारी होने के बाद ही वेतन प्रमाणित किया गया है (सरकारी आवास के आबंटन का नियम II (जी) (प.उ.वि.)) मुंबई नियम 1982) ।

Provisional pay in the pay level will not be counted for the purpose of departmental accommodation and hence, it should be ensured that pay is certified only after pay fixation order is issued (Rule II (g) of Allotment of Govt. residence (DAE) Mumbai Rules 1982)

(ii) एन.पी.सी.आई.एल. के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक उपक्रम की पूर्व सेवाओं को आवास आबंटन की प्राथमिकता सूची में वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

Past services in Public Sector Undertaking (PSU) other than NPCIL shall not be counted for the purpose of seniority in the priority list for allotment of accommodation.

(iii) प्राथमिकता तिथि तय करने के लिए, राज्य/केंद्र सरकार/रक्षा सेवाओं में पिछली सेवाओं के बीच, यदि कोई हो, तो ब्रेक की अवधि को नहीं गिना जाएगा। कृपया निर्दिष्ट कॉलम में पिछले सेवा विवरण में विवरण इंगित करें।

For Fixing priority date, periods of break, if any, between the previous services in State/Central Govt./ Defence services, may be excluded. Also, indicate details in previous service details in the specified column.

(iv) W/C, FTA सेवा के बाद नियमित नियुक्ति को प्राथमिकता तिथि तय करने के लिए गिना जाता है।
W/C, FTA service followed by regular appointment is counted for fixing priority date.

(v) अनियत श्रमिक (अस्थायी स्थिति) को छोड़कर अनियत सेवा को आबंटन उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार की अनियत श्रमिक (अस्थायी स्थिति एवं नियमितिकरण प्रदान करना) योजना, 1993 के अन्तर्गत अस्थायी स्थिति प्रदान करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देने की तिथि वह तिथि होगी जिस दिन वे अस्थायी स्थिति वाले कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लें।

Casual service is not counted for allotment purpose except Casual Labour (Temporary Status). The date of priority for allotment to employees given temporary status under "Casual labours (Grant of Temporary status and Regularization) Scheme of Government of India, 1993" shall be the date on which they complete three years of service as temporary status employees.

4. डीएई निवास में ऑनलाइन आवेदन जमा करने के प्रक्रिया /स्टेप्स
STEPS FOR SUBMITTING ONLINE APPLICATION IN DAE NIWAS

A. मौजूदा डीएई निवास उपयोगकर्ताओं के लिए
For existing DAE Niwas users

वेब ब्राउज़र खोलें (गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स) → डीएई निवास होम पेज खोलने के लिए एड्रेस बार में यूआरएल daeniwas.dcsem.anunet.in या 172.16.34.53 टाइप करें → कर्मचारी साइन इन के अनुसार ड्रॉप डाउन मेनू से वांछित इकाई का चयन करें कर्मचारी संख्या दर्ज करें → पासवर्ड दर्ज करें → व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल खोलने के लिए साइन इन पर क्लिक करें।

Open web browser (Google Chrome or Mozilla Firefox) → Type url daeniwas.dcsem.anunet.in or 172.16.34.53 in address bar to open DAE Niwas home page → Under Employees SignIn Select desired Unit from drop down menu → Enter Employee no. → Enter Password → Click on Sign In to open individual profile.

(i) **व्यक्तिगत जानकारी में सुधार न होने की स्थिति में:** सफल लॉगिन के बाद → मेरा कार्य / मेरा आवेदन में जाईए → स्थापना के साथ डेटा → व्यक्तिगत जानकारी के तहत सभी डेटा की जांच करें → यदि कोई सुधार नहीं है तो बॉक्स का चयन करके स्थापना के साथ सभी डेटा सही है इस पर सहमति दें → ड्रॉप डाउन बॉक्स से एक स्थान का चयन करें → वर्तमान फ्लैट विवरण की जांच करें → यदि लागू/रुचि हो तो उसी श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन करें → सरकारी आवास आबंटन नियम (डीएई), मुंबई, नियम, 1982 का पालन करने के सहमति के लिए घोषणा का चयन करें → पुष्टि पर क्लिक करें → ऑनलाइन आवेदन आबंटन अनुभाग को भेज दिया जाएगा।

In case of no correction in personal information: After successful Login → Go to My Task / My Application → Data with Establishment → Check all the data under personal information → In case there are no corrections → Select "I agree that my data with establishment is correct" option → Select ONE location from drop down box → Check present flat details → Apply for change in same category, if applicable/interested → Select declaration for agreeing to abide by Allotment of Govt. Residence Rules (DAE), Mumbai, Rules, 1982 → click on Confirm → Online application will be forwarded to Allotment section.

(ii) **<u>व्यक्तिगत जानकारी में सुधार होने की स्थिति में:</u>** सफल लॉगिन के बाद → मेरा कार्य / मेरा आवेदन में जाईए → स्थापना के साथ डेटा → व्यक्तिगत जानकारी के तहत सभी डेटा की जांच करें → यदि कोई सुधार है तो "डेटा अपडेट के लिए टिप्पणी जोड़ने के विकल्प" पर क्लिक करें → डेटा अपडेट के लिए टिप्पणी जोड़ें (डेटा स्वीकृति के अंतर्गत) → सुधार के लिए संबंधित स्थापना अनुभाग में सबमिट करें → स्थापना अनुभाग द्वारा सुधार किए जाने के बाद, ऑनलाइन आवेदन अंतिम प्रस्तुति के लिए व्यक्तिगत कर्मचारी को भेज दिया जाएगा। → यदि कोई और सुधार नहीं है तो स्थापना के साथ उपलब्ध सभी डेटा सही है इस बॉक्स का चयन करके इस पर सहमति दें → ड्रॉप डाउन बॉक्स से एक स्थान का चयन करें → वर्तमान फ्लैट विवरण की जांच करें → यदि लागू / रुचि हो तो उसी श्रेणी में बदलाव के लिए आवेदन करें → सरकारी आवास आबंटन नियम (डीएई), मुंबई, नियम, 1982 का पालन करने के सहमति के लिए घोषणा का चयन करें → पुष्टि पर क्लिक करें और इसे आबंटन अनुभाग में अग्रेषित करें।

<u>In case of correction in personal information</u>: After successful Login → Go to My Task → Data with Establishment → Check all the data under personal information → In case there are corrections click on "Select to add remarks for data updation" → Add remarks for data updating (under data acceptance) → Submit to respective Establishment / HR section for correction → Once corrections are carried out by them, online application will be redirected to individual employee for final submission → In case of no further corrections Select "I agree that my data with establishment is correct" option → Select ONE location from drop down box → Check present flat details → Apply for change in same category, if applicable/interested → Select declaration for agreeing to abide by Allotment of Govt. Residence Rules (DAE), Mumbai, Rules, 1982 → click on Confirm → Online application will be forwarded to Allotment section.

{इस प्रक्रिया का विस्तृत फ्लो चार्ट अनुलग्नक - I में दर्शाया गया है}
A detailed flow chart of this process is indicated at Annexure – I}.

(iii) **<u>संपर्क जानकारी का अद्यतन:</u>** सभी कर्मचारियों को अपने संपर्क विवरण जैसे संपर्क नंबर (कार्यालय), मोबाइल नंबर, कार्यालय ईमेल आईडी, डीएई निवास में व्यक्तिगत ईमेल अपडेट करना आवश्यक है। कृपया सुनिश्चित करें कि ये संपर्क विवरण सही हैं। यहां साझा किए गए विवरण का उपयोग भविष्य में संपर्क के लिए निसेसंप्रनि द्वारा किया जा सकता है। कर्मचारी को अपनी संपर्क जानकारी स्वयं अपडेट करनी होगी तथा उसे अद्यतन करने के लिए स्थापना अनुभाग को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

Updation of Contact Information: All employees are required to update their contact details viz. Contact no. (Office), Mobile no., Office Email ID, Personal Email in DAE Niwas. Kindly ensure that these contact details are correct. The details shared herewith may be used by DCSEM for future communication. Employee has to update his contact information on his own and need not forward the same to establishment section for updation.

(iv) कर्मचारियों की टिप्पणी के आधार पर स्थापना अनुभाग द्वारा सुधार करने के प्रक्रिया का विस्तृत प्रवाह चार्ट अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है |

A detailed flow chart for carrying out correction by Establishment / HR section based on employees' remark is indicated at Annexure – II.

B. नए / नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए / अपना पासवर्ड भूल गए
For Fresh/Newly recruited employees/forgotten their password

कर्मचारी जिन्होंने / Employees who :

(i) आबंटन वर्ष 2024-2025 के दौरान या उससे पहले विभाग में शामिल हुए हैं और आवास के आबंटन के लिए डीएई निवास में कभी आवेदन नहीं किया है;

have joined the Department during the currency of Allotment Year 2024-2025 or earlier and has NEVER APPLIED in DAE Niwas for allotment of quarters;

(ii) न तो पहले डीएई निवास में लॉग इन किया है और न ही अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप) बदला है

have neither logged in DAE Niwas earlier nor has changed their default password i.e. Date of Birth (DD/MM/YYYY format);

(iii) अपना पासवर्ड केवल जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप) के रूप में रीसेट किया है

have reset their password as Date of Birth (DD/MM/YYYY format) only;

(iv) अपना पासवर्ड भूल गए हैं

have forgotten their password,

केवल अपने कार्यालयीन / व्यक्तिगत ईमेल आईडी (डीएई निवास में अद्यतन) के माध्यम से अनुरोध करते हुए ईमेल भेज सकते हैं। उस ई-मेल के उत्तर में, आबंटन अनुभाग एक सिस्टम जनित रेंडम / यादृच्छिक पासवर्ड साझा करेगा जो दो कार्य दिवसों के लिए वैध होगा। किसी अन्य ईमेल आईडी (मित्र / सहकर्मी / रिश्तेदार आदि) के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और उत्तर नहीं दिया जाएगा।

can send a request email only through their official /personal email ID (updated in DAE Niwas). In reply to that e-mail, Allotment section will share a system generated random password which will be valid for two working days. Request received through any other email ID (friend/colleague/relative etc.) will not be entertained and replied.

जिन कर्मचारियों ने डीएई निवास में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे सिस्टम जनित रैंडम पासवर्ड के लिए अपने अनुभाग / प्रभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं या आबंटन अनुभाग, निसेसंप्रनि में व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं।

Employees, who have not registered their email ID in DAE Niwas, can send an email through their Section / Division official email ID or can visit Allotment Section, DCSEM in person for generation of a system generated random password.

{इस प्रक्रिया का एक विस्तृत फ्लो चार्ट अनुबंध - III में दर्शाया गया है}
{A detailed flow chart of this process is indicated at Annexure – III}

सफल लॉगिन के बाद, पैरा 4-ए/अनुलग्नक-I में बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा। After successful login, steps indicated at Para 4-A / Annexure-I are to be followed.

5. प्राथमिकता सूची तैयार करते समय निम्नलिखित कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा
Following employees will be considered while generating the priority list:

(i) कर्मचारी जो विभागीय आवास में रह रहे हैं और आगामी आबंटन वर्ष 2025-2026 के दौरान उच्च श्रेणी के आवास के आबंटन के लिए पात्र हैं;

Employees who are staying in departmental accommodation and are eligible for allotment of higher category quarters during upcoming Allotment Year 2025-2026;

(ii) वे कर्मचारी जो विभागीय आवास में रह रहे हैं और उसी श्रेणी में परिवर्तन के लिए आवेदन करते हैं या आगामी आबंटन वर्ष 2025-2026 के दौरान स्थान के विकल्प को बदलने के लिए आवेदन करते हैं;

Employees who are staying in departmental accommodation and apply for change in same category or apply for change in the choice of location during upcoming Allotment Year 2025-2026;

(iii) जो कर्मचारी विभागीय आवास में नहीं रह रहे हैं और आगामी आबंटन वर्ष 2025-2026 में आवास के आबंटन के लिए आवेदन करते हैं;

Employees who are not staying in departmental accommodation and apply for allotment of quarters in upcoming Allotment Year 2025-2026;

(iv) जो कर्मचारी आबंटन वर्ष 2024-2025 के दौरान या उससे पहले विभाग में शामिल हुए हैं और इच्छुक हैं, लेकिन उन्होंने आवास के आबंटन के लिए डीएई निवास में कभी आवेदन नहीं किया है, उन्हें आगामी आबंटन वर्ष 2025-2026 में आवास के आबंटन के लिए अभी आवेदन करना होगा;

Employees who have joined the Department during the currency of Allotment Year 2024-2025 or earlier and are interested but have NEVER APPLIED in DAE Niwas for allotment of quarters, should apply now for allotment of quarters in upcoming Allotment Year 2025-2026;

(v) **कर्मचारी जिनका अद्यतन विवरण डीएई निवास में उपलब्ध है और उनके डेटा में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है (स्थान की पसंद और उसी श्रेणी में परिवर्तन सहित) उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके अद्यतन विवरण का उपयोग प्राथमिकता निर्माण के लिए किया जाएगा।**
Employees whose updated details are available in DAE Niwas and no changes are required in their data (including the choice of location and change in same category), <u>NEED NOT APPLY</u>. Their updated details will be used for priority generation.

6. प्राथमिकता सूची बनाते समय निम्नलिखित कर्मचारियों पर विचार नहीं किया जाएगा:
Following employees will not be considered while generating the priority list:

(i) कर्मचारी जिनका विवरण डीएई निवास में उपलब्ध नहीं है और आवास के आबंटन में रुचि नहीं रखते हैं;
Employees whose details are not available in DAE Niwas and are not interested in allotment of quarters;

(ii) वे कर्मचारी जो सितंबर 2025 तक अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अर्थात आबंटन वर्ष 2025-2026 के प्रारंभ से छह महीने के भीतर |
Employees who are retiring on superannuation by September 2025 i.e. within six months from the commencement of Allotment Year 2025-2026.

7. पात्रता मापदंड / Eligibility Criteria

(i) 7वीं सीपीसी की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसार और परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 5/1(5)/2016-एसयूएस/5663 दिनांक 26/04/2017 (अनुलग्नक-IV) के निर्णय के अनुसार संशोधित वेतन संरचनाओं में सरकारी आवासों (डीएई), मुंबई के आबंटन के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:-
The eligibility criteria for allotment of Government residences (DAE), Mumbai in the revised pay structures pursuant to acceptance of the recommendations of the 7th CPC notified and conveyed by Department of Atomic Energy vide its O.M. No.5/1(5)/2016-SUS/5663 dated 26/04/2017 is indicated at Annexure – IV.

(ii) प.ऊ.वि द्वारा परिपत्र सं. **5/2(18)/2008**-एसयूएस/**2210** दिनांक **23.12.2010** के तहत जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, जो अधिकारी टाइप ई और टाइप डी-स्पेशल आवास के पात्र हैं, वे टाइप डी आवास (केवल वेतन वरिष्ठता) के लिए भी पात्र होंगे। हालांकि, उनकी पात्रता वेतन मैट्रिक्स में लगातार स्तर **11** और फिर स्तर **10** के आहरण के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

Also, as per the clarifications issued by DAE vide Circular No.5/2(18)/2008-SUS/2210 dtd. 23.12.2010, Officers who are eligible for Type E and Type D-Spl accommodation shall also be eligible for Type D accommodation (Pay seniority only). However, their eligibility will be determined based on the drawal of Level 11 and then Level 10 in the pay matrix consecutively.

8. स्थान का चयन / Selection of locality

(i) कर्मचारी आबंटन वर्ष 2025-2026 के लिए अपनी प्राथमिकता के रूप में किसी एक स्थान का चयन कर सकता है। मुंबई में आबंटन के लिए उपलब्ध स्थानों का विवरण अनुलग्नक- V में दिया गया है।

Employee can opt for any ONE location as their preference for Allotment Year 2025-2026. The details of localities available for allotment in Mumbai are indicated at Annexure – V.

(ii) नियमित स्थान के अलावा, पऊवि आईडी नोट नं. 5/7(2)(1)/2022-एसयूएस/15047 दिनांक 21.10.2024 द्वारा पऊवि कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/1(5)/2016-एसयूएस/5663 दिनांक 26.04.2017 (पैरा-7/अनुलग्नक-IV) में उल्लिखित वेतन स्तरों के अनुसार टाइप EI के लिए पात्र कर्मचारियों को डीएई निवास के माध्यम से पूर्णिमा में फ्लैट आबंटित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार पूर्णिमा को स्थान सूची में जोड़ दिया गया है और टाइप EI के लिए इच्छुक पात्र कर्मचारी इसका विकल्प चुन सकते हैं।

Apart from regular localities, the Department vide ID Note no. 5/7(2)(1)/2022-SUS/15047 dated 21.10.2024 has directed to allot flats in Purnima building through DAE Niwas to eligible employees for Type EI as per pay levels mentioned in DAE OM No. 5/1(5)/2016-SUS/5663 dated 26.04.2017 (Para-7/Annexure-IV). Accordingly Purnima has been added in location list and interested eligible employees for Type EI can opt for the same.

9. फ्लैट विवरण का अद्यतनीकरण और उसी श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध
Updation of flat details and request for change in same category

(i) यदि डीएई निवास में दर्शाए गए फ्लैट के विवरण में किसी सुधार की आवश्यकता है, तो कर्मचारी daeniwas_help@dcsem.gov.in / allot@dcsem.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

In case details of the flat reflected in DAE Niwas require any correction, the employees may send an email to daeniwas_help@dcsem.gov.in / allot@dcsem.gov.in.

(ii) विभागीय आवास में रहते हुए और समान श्रेणी में परिवर्तन के इच्छुक कर्मचारियों को फ्लैट परिवर्तन विकल्प का चयन करके परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा ।

Employees in occupation of departmental accommodation and desirous of change in same category should apply for change by selecting Flat change option.

(iii) जिन कर्मचारियों ने आबंटन वर्ष 2024-2025 के दौरान एक फ्लैट पर कब्जा कर लिया है और वर्तमान कब्जे में छह महीने पूरे नहीं किए हैं, वे भी आवास परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवर्तन के लिए ऐसे आवेदनों पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जाएगा:

Employees who have occupied a flat during Allotment Year 2024-2025 and have not completed six months in present occupation can also apply online for change of accommodation. Such applications for change will be considered in the following manner:

- अपने वर्तमान आवास में छह महीने पूरे होने से पहले यदि उसी श्रेणी में परिवर्तन के लिए प्राथमिकता संख्या मांगी जाती है, तो उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।

 Before completion of six months in their present occupation if priority number is called for change in same category, the same will be deactivated.

- यदि उनकी प्राथमिकता संख्या पहले से ही कवर किया गया है और आबंटित फ्लैट के कब्जे के 06 महीने पूरे होने के उसी महीने में अनुरोध प्राप्त होता है, तो आवेदक को सीमित विकल्प के तहत विचार किया जाएगा।

 If their priority no. is already covered and a request is received in the <u>same month</u> of completion of 06 months of occupation of the flat so allotted, he/she will be considered under Limited Option.

- मामले में प्राथमिकता संख्या कवर नहीं किया गया है, आवेदक की बारी के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।
 In case priority no. is not covered, he / she will be considered as per his/ her turn.

(iv) कर्मचारी, जिन्हें पिछले आबंटन वर्ष के दौरान अस्थायी रूप से एक फ्लैट आबंटित किया गया है और वर्ष 2025-2026 के दौरान उक्त फ्लैट पर कब्जा कर लिया है, वे भी परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उसी श्रेणी में परिवर्तन के लिए इस तरह के अनुरोध आबंटित फ्लैट के कब्जे के 06 महीने पूरे होने के उसी महीने में ई-मेल द्वारा / लिखित में किए जा सकते हैं। आगामी महीनों में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

Employees, who have been provisionally allotted a flat during previous allotment year & occupies the said flat during 2025-2026 can also request for change. Such requests for change in the same category can be made by e-mail / writing in the same month of completion of 06 months of occupation of the flat so allotted. Request received in subsequent months will not be entertained.

(v) कृपया ध्यान दें कि कर्मचारी को आबंटित एक प्रकार के आवास के संबंध में केवल **<u>एक परिवर्तन</u>** की अनुमति होगी।
Please note that only ONE CHANGE will be allowed in respect of one type of residence allotted to the employee.

(vi) ट्रांजिट आवास में कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
No change is allowed in transit accommodation.

10. ट्रांजिट आवास से अनिवार्य संचालन
Compulsory Movement from Transit Accommodation

(i) वे कर्मचारी, जो ट्रांजिट आवास यानी एफिश्यिन्यसी (नीलगिरि), एफिश्यिन्यसी प्लस - आकाश श्रृंखला (वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए), इंद्रायणी, भीमा, चंद्रभागा (वैज्ञानिक सहायक के लिए), चेनाब (पैरा-मेडिकल स्टाफ के लिए), आवश्यक सेवा क्वार्टर और पुराने मंडला में ट्रांजिट आवास, हेड, मेडिकल डिवीजन, मेडिकल ट्रांजिट के लिए बीएआरसी कोटा में रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाएगा, भले ही वे आवेदन न करें।

ऐसे आबंटियों के लिए जब भी पेशकश की जाए तो वर्गीकृत आवास में जाना अनिवार्य है, ऐसा न करने पर ट्रांजिट आवास का मौजूदा आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

The employees, who are in occupation of Transit accommodation i.e. Efficiency (Nilgiri), Efficiency Plus – Akash series (for Scientific Officers), Indrayani, Bheema, Chandrabhaga (Scientific Assistants), Chenab (Para-Medical staff), Essential Service Quarters and Transit accommodations at Old Mandala, Head, Medical Division, BARC quota for Medical Transit, shall be included in the priority list, even if they do not apply.

It is compulsory for such allottees to move to categorised accommodation as and when offered, failing which, the existing allotment of transit accommodation shall stand cancelled.

(ii) ट्रांजिट आवास पर अनाधिकृत कब्जा करने पर कर्मचारी को आबंटन आदेश जारी होने के 8वें दिन से लाइसेंस शुल्क की क्षति दर लगाने के अलावा बेदखली का भी दायित्व सौंपा जाएगा। इस निदेशालय द्वारा वर्गीकृत आवास में स्थान परिवर्तन करने के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Unauthorised occupation of transit accommodation will render an employee liable for eviction in addition to levy of damage rate of licence fee from 8th day of issue of allotment order. No representations for stalling / delaying movement to categorized accommodation will be considered by this Directorate.

(ii) ट्रांजिट आवास पर कब्जा करने वाले और ईओएल/प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इस निदेशालय (आबंटन अनुभाग) को इसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा, मौजूदा आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

Employees in occupation of transit accommodation and proceeding on EOL/Deputation should compulsorily intimate the same to this Directorate (Allotment Section), in advance, failing which, existing allotment shall stand cancelled.

11. कर्मचारियों का आबंटन आदेश डीएई निवास डेटाबेस में प्रदर्शित नामों के साथ जारी किया जाएगा (जैसा कि संबंधित स्थापना डेटा से प्राप्त किया गया है) | इसलिए, सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे डीएई निवास में अपने नाम सत्यापित करें, यदि कोई सुधार हो तो, अपने संबंधित स्थापना अनुभाग के माध्यम से सुधार करें। आबंटन आदेश में मुद्रित नाम में परिवर्तन के अनुरोध पर इस निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

Allotment order of employees will be issued with the names as appearing in the DAE Niwas database (as obtained from respective establishment data). Therefore, all employees are requested to verify their names in DAE Niwas and make corrections, if any, through their respective establishment section. Request for change of name printed in Allotment order will not be entertained by this Directorate.

12. सभी घटक इकाइयों/सचिवालयों के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करें और संबंधित इकाइयों के कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन आबंटन आवेदन को समय पर अग्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

The Administrative Head of all the Constituent Units/ Secretariat are requested to make all necessary arrangements to give wide publicity of this circular and also ensure timely forwarding of online allotment application by the employees of the respective units.

13. आबंटन वर्ष 2025-2026 के लिए एक अनंतिम प्राथमिकता सूची 20/03/2025 को DCSEM वेबसाइट www.dcsem.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

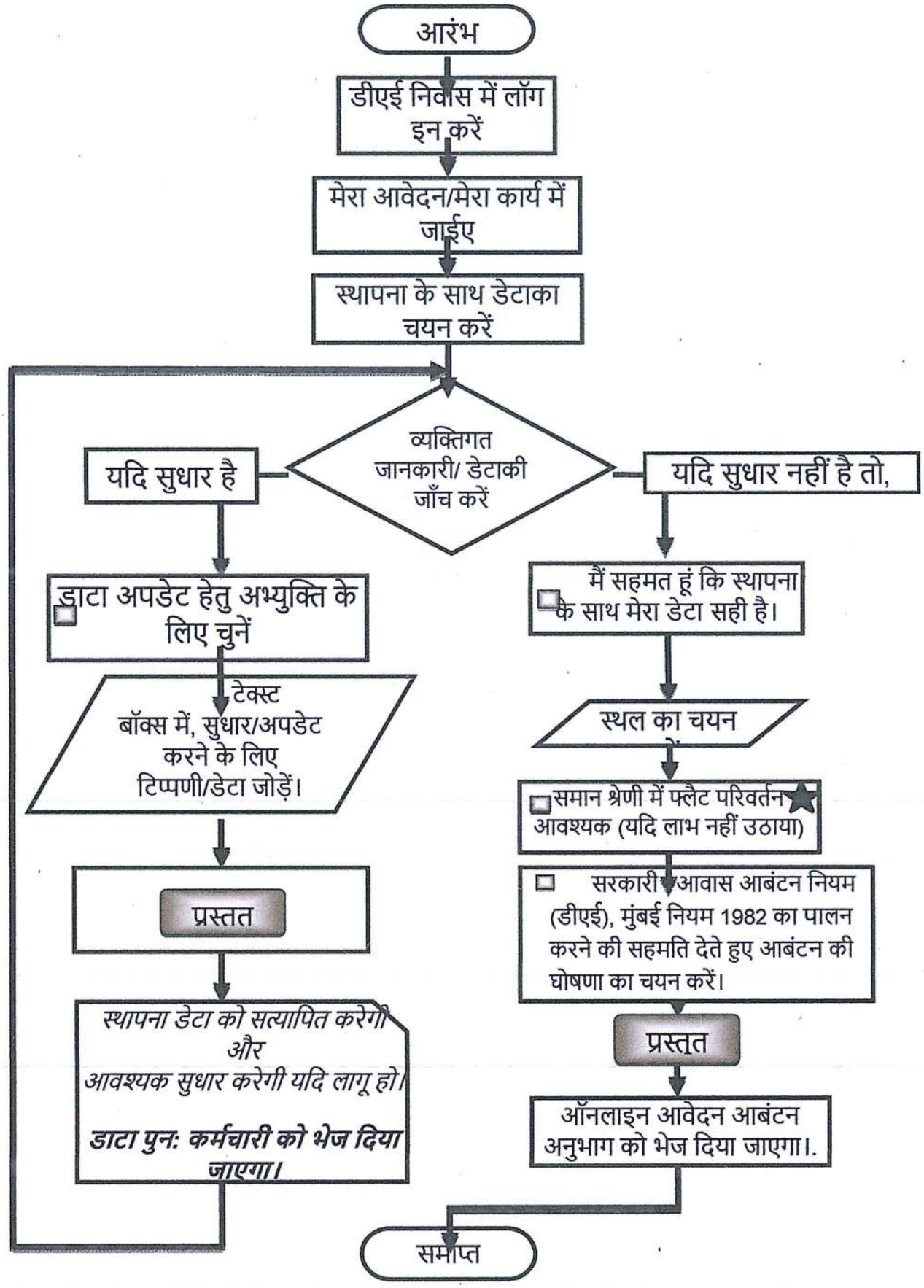
A Provisional Priority List for the allotment year 2025-2026 will be published on DCSEM website at www.dcsem.gov.in on **20/03/2025.**

संलग्न: उपरोक्त
Encl: As above.

आशा जैसन 12.3.2025
(श्रीमती आशा जैसन/ Smt. Asha Jaison)
प्रशासनिक अधिकारी - III Administrative Officer - III

प्रति/To,
मुंबई के संघटित यूनिटों/सचिवालय के प्रशासनिक प्रधान.
Administrative Head of DAE Units in Mumbai.

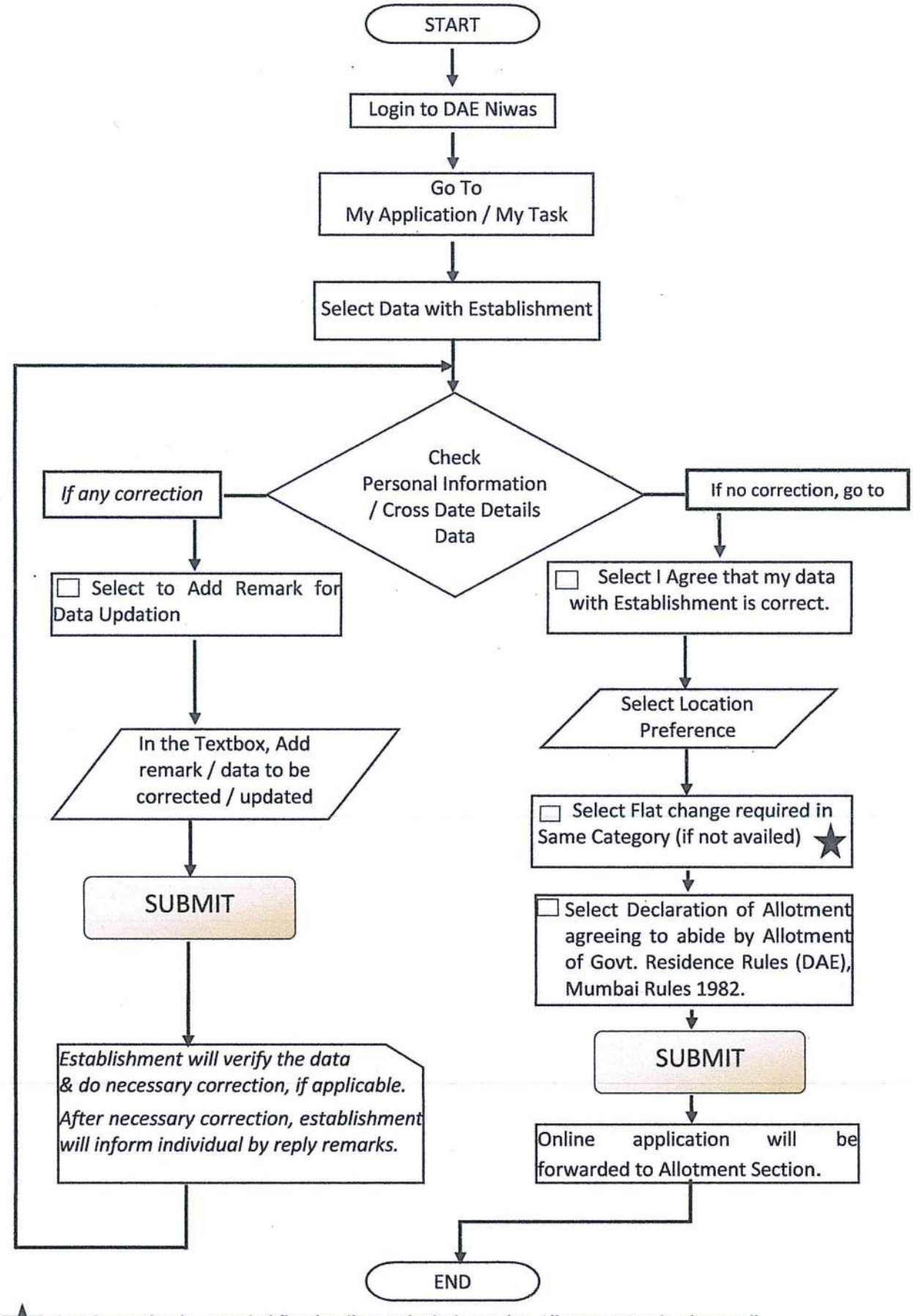
फ़्लोचार्ट (कर्मचारी के लिए)



★ फ्लैट विवरण में किसी भी सुधार के बारे में आबंटन अनुभाग को सूचित किया जा सकता है.

ANNEXURE-I

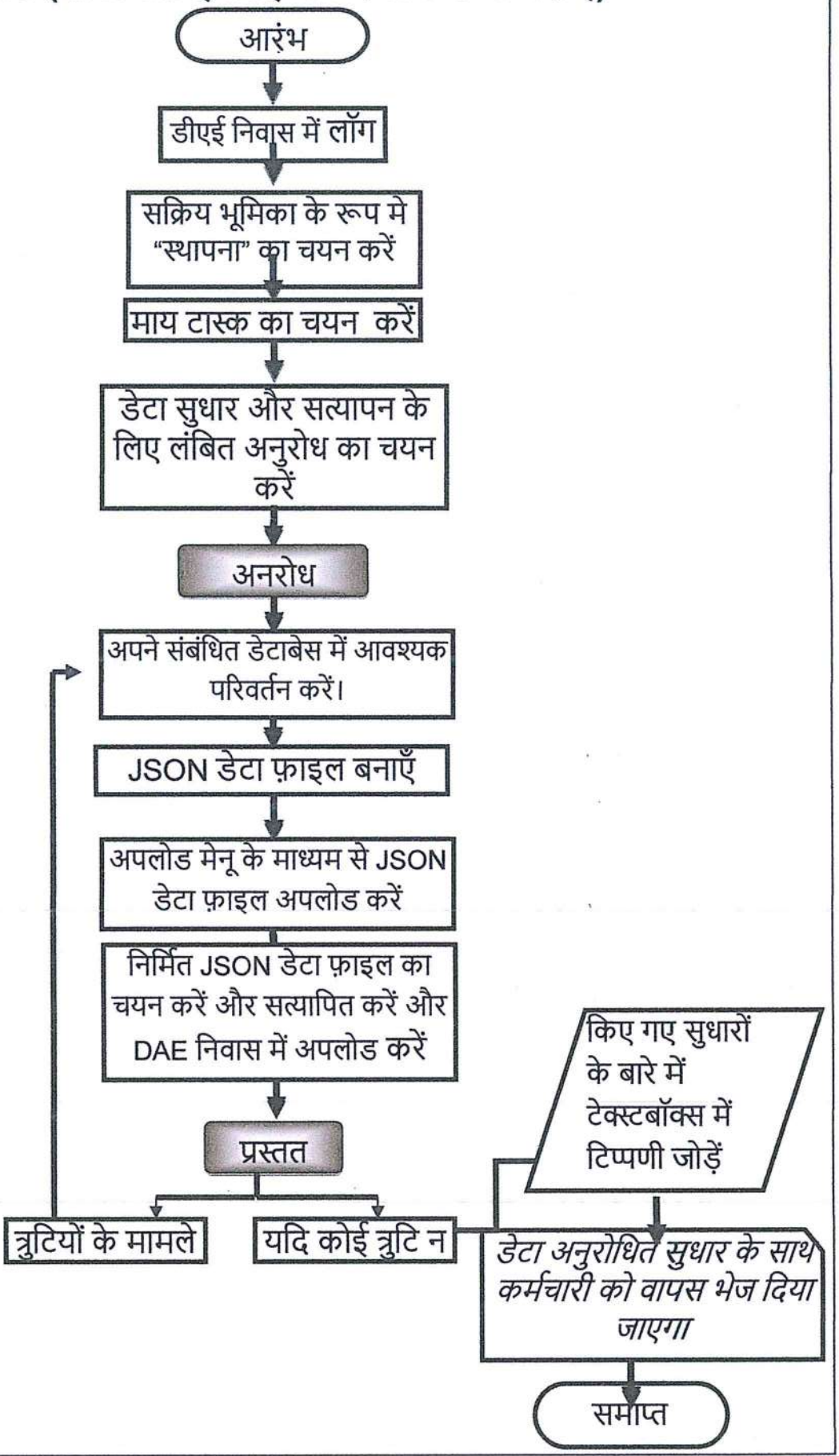
Flowchart (for Employee)



★ **Any Correction in occupied flat details may be intimated to Allotment Section by email.**

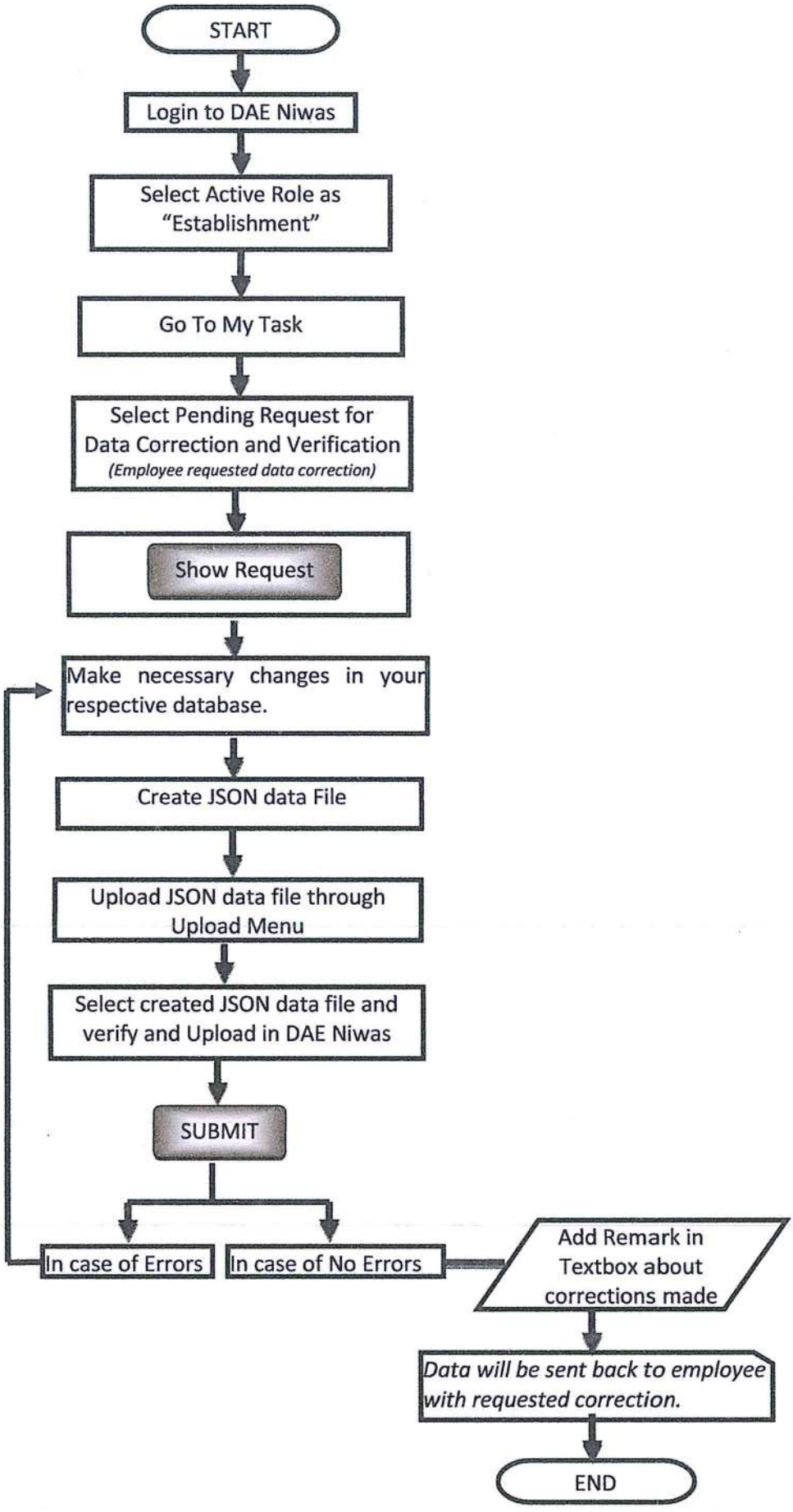
अनुबंध- II

फ़्लोचार्ट (संबंधित इकाई की स्थापना के लिए)



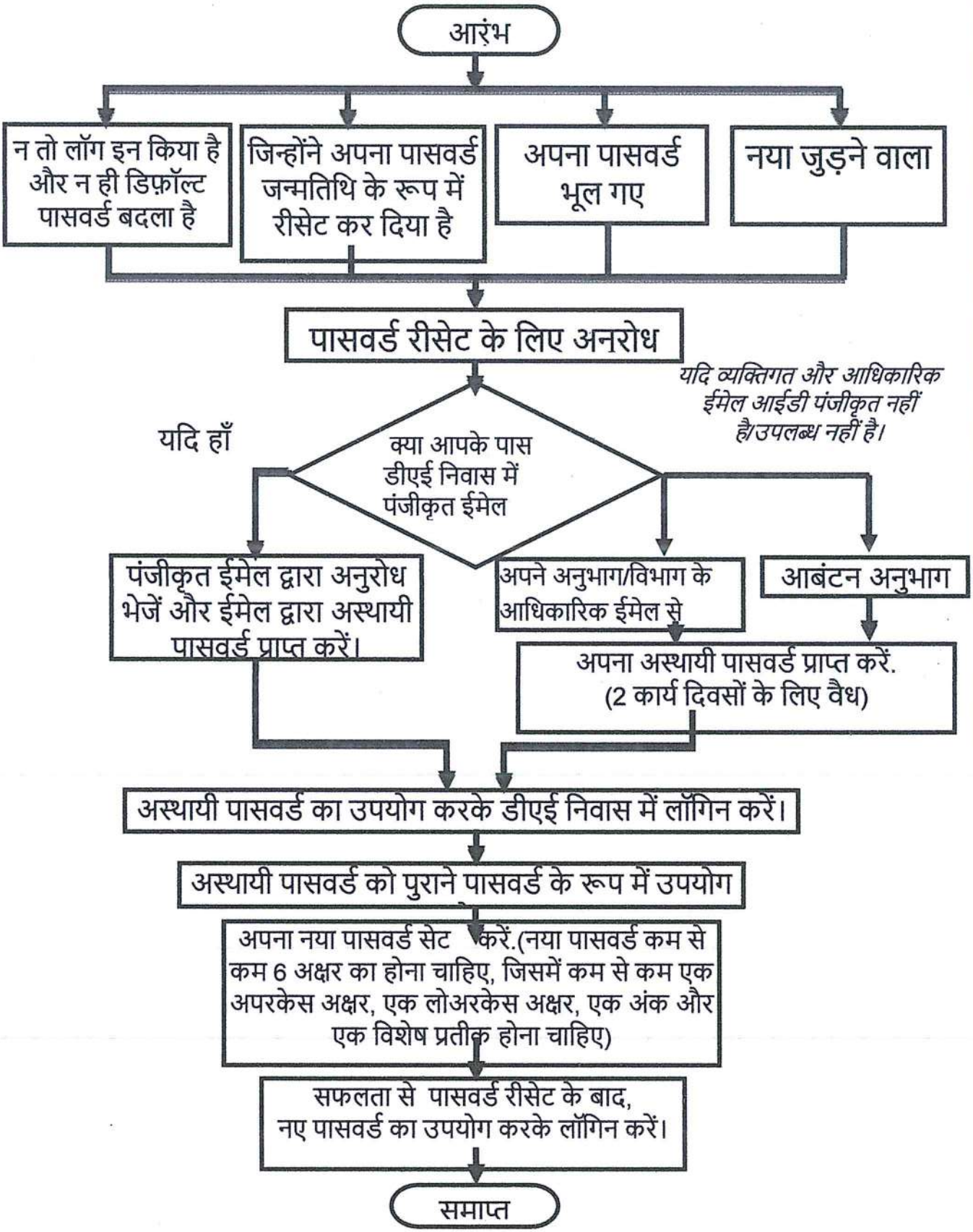
ANNEXURE - II

Flowchart (for Establishment of the respective unit)



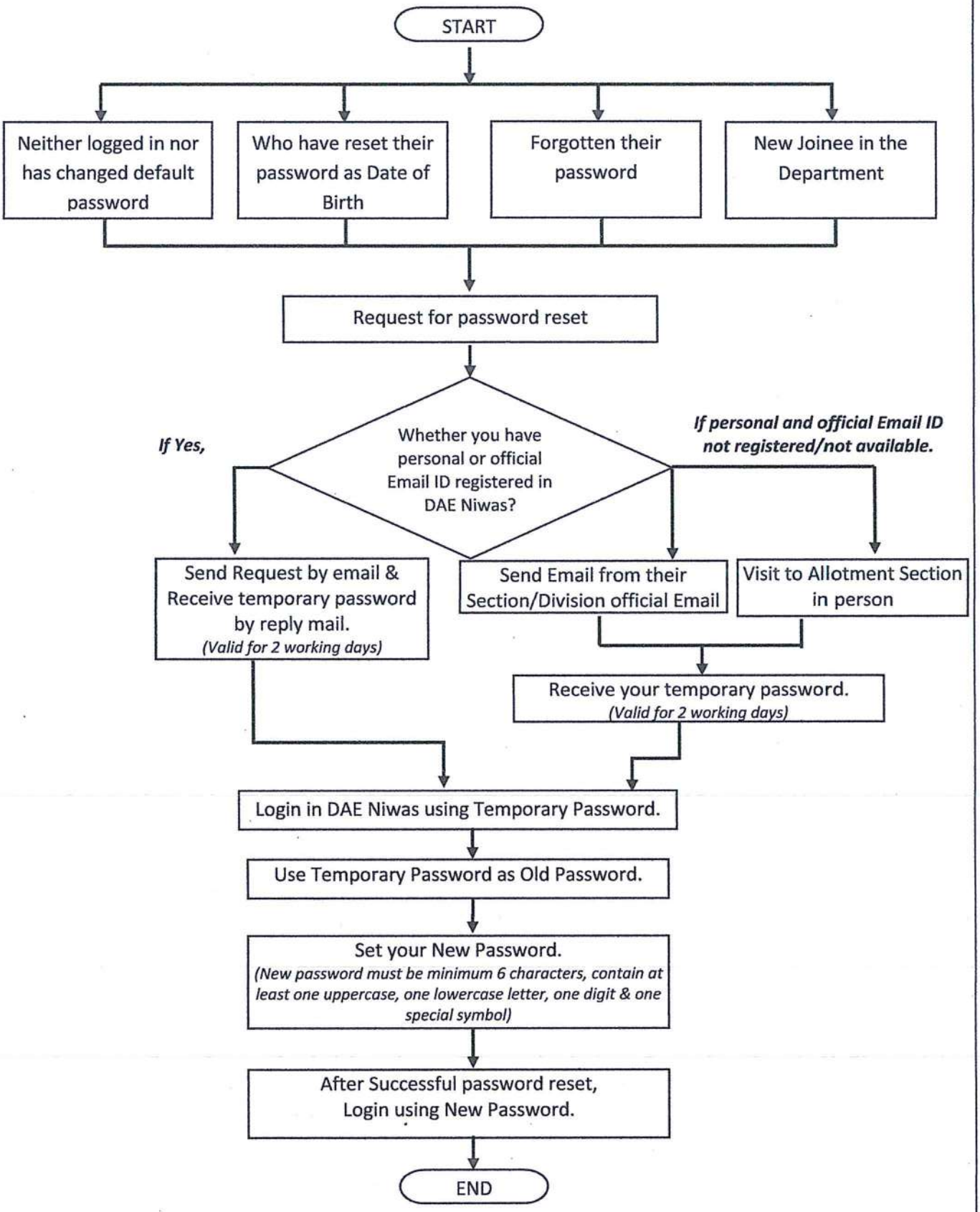
अनुबंध-III

फ्लोचार्ट(नया पासवर्ड/दोबारा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु)



ANNEXURE-III

Flowchart (for Password Reset)



ANNEXURE – IV

Government of India
Department of Atomic Energy
(Service Units Section)

Anushakti Bhavan
C.S.M. Marg
Mumbai-400001

No.5/1(5)/2016-SUS/5763

April 26, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Eligibility norms for allotment of departmental residential accommodation - regarding

The Department vide O.M.No.5/2(18)/2008-SUS/6242 dated December 8, 2009 had prescribed eligibility norms for allotment of departmental residential accommodation on account of implementation of VI CPC recommendations and revision of eligibility norms by MoUD vide Notification dated 21.8.2009.

2. Consequent on implementation of VII CPC recommendations by Govt of India, Ministry of Urban Development, Directorate of Estates vide their Notification dated 28.11.2016 and Corrigendum dated 2.1.2017, has revised the eligibility norms for allotment of Government Residences (General Pool).

3. Pending a decision on revision of eligibility norms for allotment of government residences under the control of DAE, it was decided in the Department vide Note No.5/1(5)/2016-SUS/3853 dated March 7, 2017 to continue the operation of the Priority List for 2016-17 for allotment of departmental residential accommodation upto 30.6.2017 to ensure smooth allotment of vacant flats.

4. It has now been decided in the Department to revise the eligibility criteria for the allotment of government residences under the control of Department as given below :

a) An employee shall be eligible for allotment of residence of the type as shown in Column (1) as per the Level in the pay matrix specified in the corresponding column (3), in the Table below :

Table

Type of residence	Existing Grade Pay / Basic Pay	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)
A	Rs.1300, Rs.1400, Rs.1600, Rs.1650 and Rs.1800	1
B	Rs.1900, Rs.2000, Rs.2400 and Rs.2800	2,3,4,5
C	Rs.4200, Rs.4600 and Rs.4800	6,7,8
D	Rs.5400 to Rs.6600	9.10.11
D Spl	Rs.6600	11
E	Rs.7600 ,Rs.8700 and Rs.8900	12, 13, 13A
E I	Rs.10,000	14
	Rs.67000 to Rs.74999	15 (Index Nos. 1 to 4 in the Level)
E II	Rs.75000 to 79999	15 (Index Nos.5 to 8 in the Level), 16
E III	Rs.80000 and above	17,18

5. The revised eligibility criteria shall be effective from 1.7.2017. All other existing guidelines for allotment will continue to be followed as hitherto.

6. All the Units shall take immediate necessary action to prepare the Priority List for 2017 - 18 so that the same can be operated from July 2017.

(S.S. Prasad Rao)
Under Secretary

All Heads of Units of DAE

मुंबई में आबंटन के लिए उपलब्ध स्थान विवरण
LOCALITY DETAILS AVAILABLE FOR ALLOTMENT IN MUMBAI

क्रम सं. Sl. No.	स्थान / Location	डीएई निवास में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम Abbreviation Used In DAE Niwas	पोस्टल पता Postal address	संबंधित स्थानों पर उपलब्ध आवास के प्रकार Type of accommodation available at respective locations
01.	अणुशक्तिनगर (न्यू मंडला और पश्चिमी सेक्टर शामिल हैं) Anushaktinagar (Includes New Mandala and Western Sector)	AN	डीएई क्वार्टर्स, अणुशक्तिनगर, मुंबई DAE Quarters, Anushaktinagar, Mumbai 400 094.	A, B, C, D, D-Special, E and EI. *इसमें आगामी 312 टाइप ई फ्लैट शामिल होंगे Will include upcoming 312 Type E flats*
02.	चेंबुर Chembur	CBR	डीएई क्वार्टर्स, मां अस्पताल के पास, पोस्टल कॉलोनी रोड, चेंबूर, मुंबई DAE Quarters, Near MAA Hospital, Postal Colony Road, Chembur, Mumbai 400 071.	B, C, D.
03.	घाटकोपर Ghatkopar	GHK	डीएई क्वार्टर्स, सिंघानी एस्टेट, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर, मुंबई DAE Quarters, Singhani Estate, L.B.S. Marg, Ghatkopar, Mumbai 400 086.	A, B, C.
04.	बांद्रा Bandra	BND	डीएई अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 379, 15वीं रोड, बांद्रा, मुंबई DAE Apartments, Plot No.379, 15th Road, Bandra, Mumbai - 400 050.	C, D, E.
05.	मिस्त्री नगर Mistry Nagar	MN	डीएई क्वार्टर्स, पांडुरंग नाइक मार्ग, माहिम, मुंबई DAE Quarters, Pandurang Naik Marg, Mahim, Mumbai - 400 016.	B, C.

क्रम सं. Sl. No.	Location	डीएई निवास में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम Abbreviation Used In DAE Niwas	पोस्टल पता Postal address	संबंधित स्थानों पर उपलब्ध आवास के प्रकार Type of accommodation available at respective locations
06.	आनंद भवन Anand Bhavan	AB	डीएई क्वार्टर्स, भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई DAE Quarters, Bhulabhai Desai Road, Mumbai - 400 026.	C, D, D-Special, E, EI.
07.	केनलवर्थ Kenilworth	KW	डीएई क्वार्टर्स, डॉ. डी.जी. देशमुख मार्ग, मुंबई DAE Quarters, Dr. D.G. Deshmukh Marg, Mumbai - 400 026.	C, D-Special, E.
08.	एटोमिका Atomica	ATOMICA	डीएई क्वार्टर्स, पी.के. अत्रे मार्ग, वरळी मुंबई DAE Quarters, P.K. Atre Marg, Worli, Mumbai - 400 018.	B, C, D, D-Special.
09.	ओल्ड मंडाला Old Mandala	OldMandala	डीएई क्वार्टर्स, पुराना मंडला, सायन-ट्रॉम्बे रोड मुंबई DAE Quarters, Old Mandala, Sion-Trombay Road, Mumbai - 400 088.	B, C.
10.	कुलाबा Colaba	COLABA	टीआईएफआर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, होमी भाभा रोड, कुलाबा, मुंबई TIFR Housing Complex, Homi Bhabha Road, Colaba, Mumbai - 400 005.	D, D-Special, E.
11.	पूर्णिमा Purnima	मलबार हिल पूर्णिमा MALABAR HILL - PURNIMA	डीएई क्वार्टर्स, सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास, बी.जी. खेर मार्ग, मलाबार हिल, मुंबई DAE Quarters, Near Sahyadri Guest House, B.G. Kher Marg, Malabar Hill, Mumbai - 400 006	EI.